सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मुल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः– श्री चम्पालाल जीनगर, RAS

उनवान

रामनारायण ब्राह्मण बनाम श्री तुलसीराम ब्राह्मण आदि

दावा बाबतः– बंटवारा, घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत।

मुकदमा नम्बरः– 44/2017 वाद **निर्णय दिनांकः– 31.01.2018**

लोक अदालत कैम्प कोर्ट कोटडीकलां में दिनांक 02.06.2017 को इस वाद में प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपने पत्रांक/राजस्व/बी/176 दिनांक 31.07.2017 के माध्यम से फर्द विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो माफिक आदेशानुसार है।

अतः वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है। मौजा कोटडीकलां की विवादित भूमि का बंटवारा पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार किया जाता है–

1– रामनारायण पिता बंशीलाल ब्राह्मण सा. देह के रहेगीः–

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	लगान रूपये में
63 में से उत्तर	0.1400	0.98
65 में से उत्तर	0.8600	16.34

कुल किता 2 कुल रकबा 1.0000 हेक्टेयर कुल लगान 17.32 रूपये

2– तुलसीराम पिता बंशीलाल ब्राह्मण, सा. देह के रहेगी, बैंक रहन बदस्तुर रहेगा–

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	लगान रूपये में
63 में से दक्षिण	0.1200	0.84
65 में से दक्षिण	0.7500	14.25
96	0.7300	13.87
98	0.0100	गे.मु. चाह
99	0.3100	2.17

कुल किता 5 कुल रकबा 1.9800 हेक्टेयर कुल लगान 31.55 रूपये

उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। बैंक रहन सम्बन्धित खातेदार के हिस्से पर अंकित किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज तारीख 31.01.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(चम्पालाल जीनगर)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा